तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मुन्तकिली / टीए / 2025 / 5657/ आमेर** **रामकिशोर बनाम बजरंग स्वामी, एस.डी.ओ, आमेर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-01-2026	**एकलपीठ** **श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री जी.एस. चारण, अभिभाषक प्रार्थी। श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** 1– हस्तगत् मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर प्रकरण सं0 43/2025 उनवानी रामकिशोर बनाम बजरंग स्वामी, एस.डी.ओ. आमेर, व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। 2– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का अपनी बहस में मुख्य कथन यह है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को आदेश दिनांक 25–04–2025 से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। उक्त आदेश के बाद अप्रार्थीगण सीधे ही पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते है तथा बाहर आकर यह धमकी देते हैं कि प्रार्थनापत्र वापस ले लो वरना वाद/प्रार्थना पत्र खारिज करवा लेंगे। वे बताते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता को स्पष्ट कह दिया गया है कि स्थानीय विधायक का पीठासीन अधिकारी पर भारी दबाव है और पीठासीन अधिकारी स्थगन आदेश को खारिज कर शीघ्र निर्णय करेंगे। उन्होंने न्यायालय में यह भी सरे आम कह दिया है कि वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ज्यादा दिन नहीं चलेगा तथा अगली पेशी पर ही खारिज कर दिया जायेगा। अप्रार्थीगण का यह व्यवहार स्पष्टतयाः न्यायिक कार्य पद्धति के विपरीत है और यह सिद्ध करता है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने पर उतारू है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष लंबित प्रकरण सं0 43/2025 उनवानी रामकिशोर बनाम बजरंग स्वामी एस.डी.ओ. आमेर वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे। 3– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि पीठासीन अधिकारी अनुचित रूप से अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने के उद्धेश्य से प्रकरण में कोई कार्यवाही कर रहे हो। यह प्रार्थना पत्र मात्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>मुन्तकिली / टीए / 2025 / 5657/ आमेर</u>** **रामकिशोर बनाम बजरंग स्वामी, एस.डी.ओ, आमेर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से लाया गया है, जिसे खारिज किया जाये। अप्रार्थीगण से पीठासीन के किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं है तथा स्थानीय विधायक का भी पीठासीन अधिकारी पर कोई प्रभाव नहीं है, प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथन अंकित करते हुए मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है। पीठासीन अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए प्रार्थना पत्र में आवश्यक कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी ने केवल प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। 4– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र मुन्तकिली के तथ्यों एवं इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी से प्राप्त पैरावाईज टिप्पणी का भी अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद ने पैरावाईज टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोपों को मनगढ़त, झूठा, तथ्यहीन एवं निराधार बताते हुए न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना को अन्यत्र स्थानान्तरित करने में कोई एतराज अथवा आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। पैरावाईज टिप्पणी में बताया है कि किसी पक्षकार को लाभान्वित करने के लिए प्रकरण का निर्णय नहीं किया जा रहा है। किसी भी पक्षकार के दबाव में आकर निर्णय नहीं किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए तारीख पेशिया नियत की गयी है। निर्णय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सबूत दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किये जाने हेतु नियत है। 5– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में पक्षपातपूर्व कार्यवाही कर रहे हो। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थनापत्र में कोई सार नहीं है। 6– अतः पत्रावली के अवलोकन, विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा पेश किये गये तर्को के दृष्टिगत हमारा मत है कि न्यायिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता होनी चाहिये और अगर किसी पक्षकार द्वारा ठोस कारणों के साथ किसी पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता के बाबत शंका प्रकट की जाती है तो प्रकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये किन्तु साथ ही किसी पक्षकार को यह अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये कि वह आधारहीन एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आरोप लगावे अथवा न्याय के मार्ग में रूकावट पैदा करे। अतः पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं निष्पक्षता के सबंध में बिना किसी ठोस साक्ष्य के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>मुन्तकिली / टीए / 2025 / 5657/ आमेर</u>** **रामकिशोर बनाम बजरंग स्वामी, एस.डी.ओ, आमेर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7– उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थनापत्र में कोई सार नहीं होने एवं संधारण योग्य नहीं होने से मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेन्द्र सिंह कविया)** **सदस्य**	